न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर,गाजीपुर।

मु0नं0 85 — अंतर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0एवं भू0व्यवस्था अधिनियम

मौजा — भवरहा परगना पचोतर तहसील व जिला गाजीपुर

बल्देव श्रीधर महाविद्यालय भवरहाँ पाण्डेयपुर राधे द्वारा पुष्पा देवी आदि बनाम उ0प्र0सरकार

आदेश

उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत यह आवेदन पत्र बल्देव श्रीधर महाविद्यालय भवरहाँ पाण्डेयपुर राधे द्वारा पुष्पा देवी निवासी ग्राम किन्नूपुर जनपद मऊ व सुनील कुमार पुत्र रामाधार निवासी ग्राम अकोल्ही उर्फ विशुनपूरा तहसील व जिला गाजीपुर द्वारा इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मौजा भवरहा पाण्डेयपुर राधे परगना पचोतर तहसील व जिला गाजीपुर स्थित आ0सं0 180/0.457,सं0183/0.152, 182/0.457है0 का वह भूमिधर मालिक व काबिज है। उक्त भूमि जोत की भूमि नहीं है बल्कि मौके पर बल्देव श्रीधर महाविद्यालय का भवन एवं फील्ड के रूप में उपयोग में किया जाता है। उक्त आराजियात की नवैयत अकृषिक हो गयी है और उसमें कृषि कार्य नहीं होता है। अतः उपरोक्त भूखण्डों के उल्लिखित रकबा को ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार गाजीपुर से करायी गयी। तहसीलदार सदर ने क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से अभिलेखीय व स्थलीय जॉच के पश्चात निर्धारित रूप पत्र पर आख्या प्रेषित किया है। जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार ने अपनी आख्या क्रमशः दिनांक 20.03.2015 व 20.03.2015/27.04.2015 में उल्लिखित किया है कि ग्राम भवरहा के गाटा सं0 180सं0रकबा 0.457है0,183सं0 रकबा 0.152 है0 तथा 182 रकबा 0.457है0 को अकृषिक प्रयोजन की घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। उक्त आख्या तहसीलदार सदर द्वारा अग्रसारित की गयी है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता [illegible] एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा तहसीलदार गाजीपुर द्वारा प्रेषित उक्त जॉचाख्या का अवलोकन किया।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूखण्ड आवेदकगण की भूमिधरी है, ,जिसपर कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि विद्यालय भवन एवं फील्ड स्थित है इसप्रकार आराजी नेजाई में कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में प्रयोग होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध कागजात एवं तहसीलदार गाजीपुर की आख्या दिनांक 27.03.2015 के आधार पर मौजा भवरहा पाण्डेयपुर राधे परगना पचोतर तहसील व जिला गाजीपुर स्थित आ0सं0 180/0.457,सं0183/0.152, 182/0.457है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधन हेतु परवाना अमलदरामद जारी होवे। आदेश की प्रति उप निबंधक गाजीपुर को भेजी जाय। आवश्यक अनुपालन के पश्चात पत्रावली दाखिल दफतर होवे।

दिनांकः

06.03.15

उप जिलाधिकारी,
सदर,गाजीपुर।

छाया प्रति- [illegible]

11-5-15